स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल, 2015

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (अध्यक्ष-श्री अश्विनी कुमार) ने कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन बिल, 2015 पर अपनी रिपोर्ट 26 फरवरी, 2016 को सौंपी। बिल 8 मई, 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था और 21 मई, 2015 को स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा गया था।
- यह बिल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड के गठन का प्रस्ताव करता है। इस फंड में जंगलों के इको-सिस्टम को होने वाले नुकसान के जुर्माने को जमा किया जाएगा। वन भूमि को गैर वन उपयोग (जैसे औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं) के लिए दिए जाने से इको-सिस्टम को नुकसान होता है। बिल राष्ट्रीय और राज्य फंड में जमा धनराशि के प्रबंधन और उपयोग को रेगुलेट करता है।
- **राष्ट्रीय और राज्य फंडः** बिल में प्रावधान है कि राष्ट्रीय और राज्य फंड्स को जमा राशि में से क्रमशः 10% और 90% हिस्सा मिलेगा। कमिटी ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय और राज्य फंड्स को जमा राशि का क्रमशः 5% और 95% मिलना चाहिए।
- **शुद्ध वर्तमान मूल्य (**नेट प्रेज़ेन्ट वैल्यू- **एनपीवी)**: बिल गैर वन उपयोग के लिए दी गई वन भूमि की पर्यावरणीय सेवाओं के आकलन को एनपीवी के रूप में परिभाषित करता है। यह पर्यावरणीय सेवाओं को वस्तु और सेवाओं (जैसे लकड़ी और पर्यटन), रेगुलेटिंग सेवाओं (जैसे जलवायु नियमन), गैर वस्तुगत लाभों के प्रावधान के रूप में परिभाषित करता है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि पर्यावरणीय सेवाओं की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि (i) इसे इन्क्लूसिव (समावेशी) बनाया जा सके, क्योंकि परिभाषा में दी गई पर्यावरण सेवाओं की सूची सांकेतिक सूची है और (ii) पोलिनेशन और बीज छितराव को भी पर्यावरण सेवाओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। बिल प्रावधान करता है कि एनपीवी भुगतानों का उपयोग वन और वन्य जीव संरक्षण, वन लगाने, बुनियादी ढांचागत विकास और अन्य सहयोगी गतिविधियों में होना चाहिए। कमिटी ने कहा कि इनमें से कुछ उपयोगों (जैसे बुनियादी ढांचागत विकास और सहयोगी गतिविधियों) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **अन्य भुगतानः** संरक्षित क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य) को अन्य उपयोग में दिए जाने से प्राप्त राशि के संदर्भ में बिल प्रावधान करता है कि यह राशि संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण गतिविधियों पर खर्च की जानी चाहिए। कमिटी का सुझाव है कि यह राशि संरक्षित क्षेत्र से लोगों के स्वैच्छिक रूप से अन्य स्थानों पर जाने में भी खर्च की जा सकती है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड का इस्तेमाल हरित भारत कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अफोरेस्टेशन का एक अलग कार्यक्रम है, जिसके लिए बजट में आवंटन होता है।
- **कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए भूमि की अनुपलब्धताः** कमिटी ने पाया कि कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए भूमि मिलना कठिन हो गया है। जहां इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां बिल को उपलब्ध वनों का घनत्व बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए।
- **प्रशासनिक अथॉरिटीजः** बिल फंड्स के प्रबंधन के लिए नेशनल और स्टेट कंपेनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटीज का गठन करता है। बिल प्रावधान करता है कि नेशनल अथॉरिटी की गर्वनिंग बॉडी में पर्यावरण मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वन अधिकारी और दो विशेषज्ञ (पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक इत्यादि) होंगे। कमिटी ने सुझाव दिया है किः (i) दो विशेषज्ञों के स्थान पर पांच विशेषज्ञ होने चाहिए, (ii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंतरिक्ष मंत्रालय के सचिवों को शामिल किया जाना चाहिए और (iii) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) को हटाया जा सकता है। कमिटी ने यह भी सुझाव दिया है कि जनजातीय समुदायों के एक विशेषज्ञ या

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

1 मार्च, 2016

प्रतिनिधि को नेशनल अथॉरिटी की कार्यकारी कमिटी और स्टेट अथॉरिटी (उपयोग की निगरानी के लिए उत्तरदायी) की संचालन कमिटी में शामिल करना चाहिए।

- अथॉरिटी के संचालन के बारे में कमिटी ने सुझाव दिया है कि राज्यों के कामकाज की वार्षिक योजनाओं (यह विवरण कि राज्यों में धन का उपयोग किस तरह होगा) को मंजूरी देने के लिए नेशनल अथॉरिटी को तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए।
- **केंद्र सरकार की शक्तियां:** बिल प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार (i) प्राधिकरणों को निर्देश दे सकती है और (ii) उनके लिए बाध्यकारी नीतिगत निर्देश जारी कर सकती है। कमिटी ने कहा है कि निर्देश देने का अधिकार हटाया जा सकता है, जबकि बाध्यकारी नीतिगत निर्देश जारी करने का अधिकार बरकरार रह सकता है। कमिटी ने आगे सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से बिल के तहत नियम बनाने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।